न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम रूड़मल

मुकदमा न. 29/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

27.07.2018	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी रूड़मल पुत्र नारायण माली निवासी पचलंगी पापड़ा उदयपुरवाटी मैसर्स– होटल शिवम काजलों की ढ़ाणी एन.एच.52 ठीकरिया उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ–1071 वस्तु सरसो तेल का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिस बॉन्ड/अमानक का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अतः अप्रार्थी रूड़मल के 8000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official